

राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के नियम 6 डी के अन्तर्गत पंचायतीराज नियम के तहत नियुक्ति सुयोग्य अध्यापक तृतीय श्रेणी को माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के रिक्त पदों पर समायोजन/स्थानान्तरण हेतु विकल्प पत्र का

- प्रारूप

- अध्यापक का नाम:-
- पिता का नाम :-
- विद्यालय का नाम:-
- जन्म तिथि:-
- अध्यापक पद पर नियुक्ति तिथि:-
- चयन करने वाली जिला परिषद/जिला शिक्षा अधिकारी का नाम:-
- नियुक्ति अधिकारी का पद नाम:-
- यदि नियुक्ति पूर्व में हुई है एवं जिला स्थापना समिति द्वारा बाद में चयन किया गया हो तो:-
- नियुक्ति तिथि:-
- चयन जिस दिनांक से किया गया:-
- नियुक्ति के समय योग्यता शैक्षिक/प्रशैक्षिक:-
- वर्तमान योग्यता शैक्षिक/प्रशैक्षिक:-

नोट:- बीएड योग्यताधारी कक्षा 6 से 8 के लिये विकल्प कर सकेंगे ।

- सीनियर हायर सेकेंडरी में संकाय:-
- स्नातक का विषय:-
- अधिस्नातक के विषय:-
- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना सही है, मैं पंचायतराज विभाग में नियुक्त हुआ था तथा अब मैं शिक्षा विभाग में आने के लिए अपनी सहमती प्रदान करता हूँ।

हस्ताक्षर

संबंधित अध्यापक

- क्या विभागीय जाँच विचाराधीन है:-
- सेवाएँ संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी द्वारा दिया गया है।(सलग्न करें)
- प्रार्थी का पदस्थापन माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में होने पर कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण करने हेतु बाध्य होउगा इस का शपथ पत्र (सलग्न करें:-)

प्रमाणित कर्त्ता के हस्ताक्षर

नियुक्ति अधिकारी